११०

राज भवन, लखनऊ

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–87 / 2026 दिनांक : जनवरी 06, 2026

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–11(2) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति के रूप में चयन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। कुलपति अपना पद तीन वर्ष की अवधि के लिये या 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, धारण करेगा।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबन्धन के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा, जिसके पास उच्चतर शिक्षा के परास्नातक उपाधि स्तरीय संस्थान में प्रशासनिक अनुभव हो।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 28.01.2026(बुधवार) तक केवल ऑनलाइन **(Online)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल,
भा.प्र.से.(से.नि.),
(अपर मुख्य सचिव स्तर),
उत्तर प्रदेश।

(7)

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, GORAKHPUR (U.P.)

Advt. No. E-87 /2026

Dated : January 06 , 2026

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur (U.P.), established under The Uttar Pradesh Madan Mohan Malaviya University of Technology Act, 2013 (U.P. Act No. 22 of 2013) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 11(2) of the said Act.

Only such persons will be considered for selection as Vice Chancellor who have not attained the age of 65 years. Vice Chancellor will hold office for a period of three years or till 68 years of age, whichever is earlier.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. The applicant shall be a scholar of eminence in one of the areas of applied sciences, engineering and management, having administrative experience in a Post Graduate Degree level institution of higher learning.

The applicant for the post of Vice-Chancellor send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **28.01.2026(Wednesday).**

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

07.1.26

OSD to Governor,
IAS(Retd.)
(Additional Chief Secretary Level),
Uttar Pradesh.